



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Registrar off.-91-771-2262540, Email ID- registrarprsu@gmail.com, Website- www.prsu.ac.in

क्रमांक : 978 /अका./2022

रायपुर, दिनांक : 18/01/2022


## ॥ सूचना ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार दिनांक 21 जनवरी, 2022 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में आयोजित है।

सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

विषय सूची :- पटल पर रखी जाएगी।

आदेशानुसार,


  
18.1.22  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 979 /अका./2022

रायपुर, दिनांक : 18/01/2022

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. प्रभारी अंकेक्षण,
3. वित्त नियंत्रक,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)

**Proposed Regulation No. 182 C**  
**सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2021-जनवरी 2022 परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति**  
**(Under the Provisions of Ordinance 5)**

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17-04/2022/38-1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13/01/2022 एवं विश्वविद्यालय Regulation No.-182 B के परिपालन एवं शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा सत्र 2021-22 के सेमेस्टर परीक्षा के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार प्रावधान लागू किया जाना प्रस्तावित -

- (1) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (2) सेमेस्टर पद्धति की कक्षाओं के लिए परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा -
  - 2.1 निर्धारित परीक्षा दिवस में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र Online (E-mail) आदि के माध्यम से भेजा जाएगा।
  - 2.2 परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर घर पर ही लिख कर भेजेंगे। उत्तर लिखने की समय-सीमा एवं उत्तर भेजने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (3) सेमेस्टर परीक्षा के लिए परीक्षाफल निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा -
  - 3.1 प्रश्नपत्रवार अंक की गणना गत वर्ष के कुल प्राप्तांक के औसत का 50 प्रतिशत भार (Weightage) तथा वर्तमान परीक्षा (Exam from Home) के प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक का 50 प्रतिशत भार (Weightage) देकर अंक गणना की जाएगी।
  - 3.2 स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट सेमेस्टर परीक्षा के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा (Exam from Home) के प्रश्नपत्रवार प्राप्तांक के आधार पर अंक गणना की जाएगी।

**Annexure - A (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)**

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	तृतीय सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage - प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage - उस विषय/प्रश्न-पत्र का वर्तमान प्राप्तांक	यदि प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 80 है तो <b>40 अंक</b> - प्रथम+द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500+400/500=700/1000 = 70$ प्रतिशत <b>Weightage</b> अंक = 28 अंक तथा <b>40 अंक</b> - परीक्षा के प्राप्तांक $65/80 = 81.25$ प्रतिशत का <b>Weightage</b> अंक $32.5 = 33$ इस प्रकार सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र के अंक $28+33 = 61/80$

**Annexure – B (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)**

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	द्वितीय सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का <b>50 प्रतिशत Weightage</b> – प्रथम सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा <b>50 प्रतिशत Weightage</b> – उस विषय/प्रश्न-पत्र का वर्तमान प्राप्तांक	यदि प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 80 है तो <b>40 अंक</b> – प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500 = 60$ प्रतिशत <b>Weightage</b> अंक = 24 अंक तथा <b>40 अंक</b> – परीक्षा के प्राप्तांक $65/80 = 81.25$ प्रतिशत का <b>Weightage</b> अंक $32.5 = 33$ इस प्रकार सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र के अंक $24+33 = 57/80$

**Annexure – C (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)**

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	पंचम् सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का <b>50 प्रतिशत Weightage</b> – प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा <b>50 प्रतिशत Weightage</b> – वर्तमान प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक	यदि किसी प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 50 है तो 25 अंक – प्रथम+द्वितीय+तृतीय+चतुर्थ सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500+310/500+325/500+340/500 = 1275/2000 = 63.75$ प्रतिशत का <b>Weightage</b> अंक 15.93 (16 अंक) तथा <b>25 अंक</b> – परीक्षा के प्राप्तांक $42/50$ अंक $= 84$ प्रतिशत का <b>Weightage</b> अंक – 21 इस प्रकार कुल $16+21 = 37/50$ अंक प्राप्त होंगे।

- (4) उक्त रीति से घोषित परीक्षा परिणाम में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी।
- (5) उपर्युक्त व्यवस्था केवल सेमेस्टर परीक्षा (I, III, V, VII, IX के नियमित/भूतपूर्व/ए.टी.के.टी एवं II, IV, VI, VII, X के ए.टी.के.टी.) दिसंबर 2021–जनवरी 2022 के लिए प्रभावशील होगी।